



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ नोट

विषय:- लोहामण्डी योजना के पूर्व अनुमोदित योजना मानचित्र के फेज-1 का आंशिक संशोधन व फेज-2 की प्लानिंग को सम्पूर्ण संशोधन किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में ट्रेड एसोसियेशन (हार्डवेयर/इलेक्ट्रीकल) के सदस्यों को योजना में आवंटित भूखण्डों का संशोधित साईट प्लान व संशोधित आवंटन पत्र/लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र, संशोधन हेतु सहमति पत्र का प्रारूप जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रकाशित कराये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि लोहामण्डी योजना के सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग से सम्बद्ध मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 14.02.2021 में लिये गये निर्णय एवं इस सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.03.2021 की अनुपालना में तथा जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.05.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णय एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में जोन-06 के क्षेत्राधिकार में स्थित राजस्व ग्राम माचडा तहसील आमेर में लोहामण्डी योजना के पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में संशोधन तथा योजनान्तर्गत आन्तरिक/जोनल प्लान की सड़कों के अलाईमेंट में परिवर्तन व स्थिति अनुसार शिफ्टिंग किया जाकर प्राधिकरण की पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 22.09.2021 में संशोधित योजना मानचित्र अनुमोदित कर जारी किया जा चुका है।

लोहामण्डी योजना के पूर्व अनुमोदित योजना मानचित्र के फेज-1 का आंशिक संशोधन व फेज-2 की प्लानिंग को सम्पूर्ण संशोधन किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में ट्रेड एसोसियेशन (हार्डवेयर/इलेक्ट्रीकल) के सदस्यों को योजना में आवंटित भूखण्डों का संशोधित साईट प्लान व संशोधित आवंटन पत्र/लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र, संशोधन हेतु सहमति पत्र का प्रारूप जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रकाशित करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

सिस्टम एनालिस्ट
जयपुर, जयपुर

उपायुक्त जोन-06
जयपुर, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक: जयपुर/जोन-06/2021/डी-9560
दिनांक 18/12/2021

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

लोहामण्डी योजना में संशोधित आवंटन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवामें,

श्रीमान उपायुक्त महोदय
जोन-6,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

विषय:- लोहामण्डी योजना के सम्बन्ध में पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या का वर्तमान
संशोधित योजना मानचित्र के अनुसार संशोधित स्थल मानचित्र/आवंटन पत्र/
संशोधित लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लोहामण्डी योजना में पूर्व
में भूखण्ड संख्या क्षेत्रफल व.मी. का आवंटन पत्र मुझे/श्री
..... को दिनांक को जारी किया गया था। मैं मूल आवंटी/हितधारी/मूल
आवटी का वारिस/क्रेता/ अन्तिम क्रेता हूं। उक्त आवंटित भूखण्ड संख्या के सम्बन्ध में
प्रार्थना पत्र व संशोधित मानचित्र भूखण्ड की वर्तमान स्थिति के अनुसार सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन
है कि मुझे उक्त भूखण्ड का संशोधित साईट प्लान/संशोधित आवंटन पत्र/संशोधित लीजडीड जारी
की जावे। यदि पूर्व की कोई भी राशि बकाया है तो मैं उसे जमा कराने के लिये सहमत हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पिता का नाम

निवासी

मो.न.

संलग्न:-

- 1 पूर्व में जारी आवंटन पत्र, कब्जा पत्र,
स्थल मानचित्र व लीजडीड की छायाप्रति।
- 2 वर्तमान संशोधन अनुसार भूखण्ड लेने का सहमति पत्र।
- 3 मूल आवंटी से भिन्न व्यक्ति का आवेदन होने पर वर्तमान
स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजों की छायाप्रतियां।
- 4 पहचान पत्र (आधार की प्रति)

लोहामण्डी योजना में संशोधित आवंटन प्राप्त करने हेतु सहमति पत्र का प्रारूप

(50/- रु. के मुद्रांक पर)

सहमति पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उम्र
वर्ष निवासी
लोहामण्डी योजना में पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या क्षेत्रफल व.मी. के सम्बन्ध में
निम्नानुसार सहमति प्रस्तुत करता हूँ कि:-

- 1 यह कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में लोहामण्डी योजना में भूखण्ड संख्या
क्षेत्रफल व.मी. का आवंटन मुझे/श्री
पुत्र श्री को दिनांक को किया गया था,
जिसका वर्तमान में मैं आवंटी/हितधारी/वारिस/क्रेता /अन्तिम क्रेता हूँ।
- 2 यह कि पूर्व में मुझे अथवा आवंटी को जारी स्थल मानचित्र के अनुसार व अब नवीन संशोधित
योजना मानचित्र के अनुसार आवंटित भूखण्ड की मौका स्थिति में परिवर्तन को मैं लेने के लिये
सहमत हूँ।
- 3 यह कि उक्त परिवर्तन के सम्बन्ध में मेरे द्वारा भविष्य में जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध
कोई भी न्यायिक वाद-विवाद इत्यादि नहीं किया जावेगा। वर्तमान में संशोधित योजना मानचित्र
के अनुसार सृजित भूखण्ड को लेने हेतु मैं अन्तिम रूप से सहमत हूँ।

हस्ताक्षर सहमतिकर्ता

दिनांक

स्थान जयपुर

गवाह: 1. हस्ताक्षर

नाम

पिता का नाम

निवासी

गवाह: 2. हस्ताक्षर

नाम

पिता का नाम

निवासी